कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा

Email Id - atma.lohardaga@rediffmail.com

पत्रांक 1027 लोहरदगा / दिनांक 06/11/2026

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

सेवा में,

जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी,
लोहरदगा।

विषयः– **विज्ञापन प्रकाशन** के संबंध में।

प्रसंग – कृषि निदेशक, झारखण्ड, रॉची का ज्ञापांक 1909 दिनांक 23.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष–2026–27 में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेष संख्या–03 दिनांक–23.05.2026, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–1909 दिनांक–23.04.2026 एवं कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1617 दिनांक– 17.03.2023 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु लोहरदगा जिला अन्तर्गत 05 (पॉच) पौधा संरक्षण केन्द्र (Plant Protection Center) में स्वीकृत पदों के विरूद्ध मानदेय /पारिश्रमिक आधारित मानव बल/ पौधा संरक्षण कर्मियों हेतु फसल रक्षक (पदनाम–कामदार) की नियुक्ति की जानी है इस निमित जिले के स्थानीय समाचार पत्रों में रिक्तयॉ संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है।

अतः विज्ञापन की स्वच्छ प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध करना है कि लोहरदगा जिले के स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन करवाने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः–सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी।

विभाग का नाम– कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (कृषि प्रभाग)

पदाधिकारी का नाम– श्रीमती कालेन खलखो, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा।

Email ID – daolohardaga@gmail.com, Mb-7543001771

संदेशवाहक का नाम– श्री अखिलेश्वर साहु, आदेशपाल, जि0कृ0कार्या0, लोहरदगा(मो0–8789125782)

विश्वासभाजन,

6/11/26

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 1027 / लोहरदगा / दिनांक 06/11/2026

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि NIC के बेबवाईट पर उक्त सूचना का प्रकाशन करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : उपायुक्त, लोहरदगा की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

6/11/26

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
(कृषि प्रभाग)

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा / OFFICE
DISTRICT AGRICULTURE OFFICER, LOHARDAGA
EMAIL ID- daolohardaga@gmail.com

विज्ञापन संख्या 01 / 2026–27

वित्तीय वर्ष–2026–27 में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेष संख्या–03 दिनांक–23.05.2026, कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक–1909 दिनांक–23.04.2026 एवं कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–1617 दिनांक– 17.03.2023 के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु लोहरदगा जिला अन्तर्गत प्रत्येक पौधा संरक्षण केन्द्र (Plant Protection Center) में स्वीकृत पदों के विरूद्ध मानदेय /पारिश्रमिक आधारित मानव बल/ पौधा संरक्षण कर्मियों हेतु फसल रक्षक (पदनाम–कामदार) की रिक्ति के विरूद्ध पर रखा जाना है।

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर तथा विज्ञापन में निर्धारित शर्तो के अधीन होगी।

अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते है।

1. सामान्य विवरण :–

क0सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1	फसल रक्षक (कामदार)	मासिक मानदेय / पारिश्रमिक आधारित	चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक।	रू0–11851 / –

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय / पारिश्रमिक आधरित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थानीयकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

2. रिक्तियों का कोटिवार विवरण :–

क्र0	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
1	(अनारक्षित) UR	03 (तीन) पद	03
2	(अनुसूचित जनजाति) ST	02 (दो) पद	02

नोट :–

(i) रिक्तियों की संख्या प्रशासनिक आवश्यकता एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

(ii) पदों का कोटिवार विवरण लोहरदगा जिला हेतु आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

3. अनिवार्य योग्यता :–

(i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक / माध्यमिक (10^{th}) उर्तीण।

(ii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य है।

(iii) स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है।

(iv) साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की दक्षता होनी चाहिए।

(v) अभ्यर्थी लोहरदगा जिला अन्तर्गत स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

5. उम्र सीमा :– न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी, जो विभिन्न श्रेणियों हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित हो।

नोटः– अधिक जानकारी हेतु लोहरदगा जिले के अधिकारिक वेबसाइट www.lohardaga.nic.in, www.atmalohardaga.co.in एवं जिला कृषि कार्यालय, लोहरदगा के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

आवेदन करने की तिथि 09.11.2026 से 28.11.2026 के अपराहन 5.00बजे तक (स्वय उपस्थित होकर या निबंधित डाक द्वारा) आवेदन समर्पित करना का पता– जिला कृषि कार्यालय, सदर प्रखण्ड, लोहरदगा, पोस्ट– लोहरदगा, जिला– लोहरदगा झारखण्ड–835302

6/11/26

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

लोहरदगा जिला अंतर्गत फसल रक्षक (कामदार) के पद पर मानदेय के आधार पर चयन हेतु आवेदन–पत्र

विज्ञापन संख्या– 01/2026–27

आवेदित पद का नाम–.....

निर्देश :– अभ्यार्थी आवेदन–पत्र के सभी कॉलम स्पश्ट एवं पूर्ण रूप से भरें तथा विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें–

नवीनतम स्व–अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाये

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी बड़े अक्षरो में).....

3. पिता/पति का नाम.....
4. लिंग (✓ का निशान करें) (पुरूष ☐) (महिला ☐) (अन्य ☐)
5. जन्म तिथि./...../.....
6. आयु (दि–01.01.2026 के आधार पर) वर्ष–माह.....दिन.....
7. आरक्षण कोटि–सामान्य.....अत्यंत पिछड़ा वर्ग.....पिछड़ा वर्ग.....
 अनुसूचित जाति.....अनुसूचित जनजाति.....
8. राष्ट्रीयता.....
9. क्या आप आरक्षण का दावा कर रहे है (✓ का निशान करें) (हाँ ☐ / नहीं ☐)
10. स्थानीय प्रमाण–पत्र के अनुसार जिला का नाम.....
11. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रखण्ड का नाम.....
12. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण पत्र संलग्न करें)–

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल प्राप्तांक का प्रतिशत
मैट्रिक (10वीं उर्त्तीण)			
इंटरमीडिएट/10+2			
स्नातक			
प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र/अन्य योग्यता			

14. मैट्रिक में हिन्दी विषय के अंक (यदि लागू हो).....

(कुल अंक..... प्राप्त अंक.....)।

15. प्रशिक्षण का विवरण :–

क्या कृषि एवं उद्यान निदेशालय / विज्ञापन में निर्धारित संस्थान से न्यूनतम 05 दिवसीय/05 दिवसीय से अधिक अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त है?

(✓ का निशान करें) (हाँ ☐) (नहीं ☐)

क्रम0 सं0	प्रशिक्षण का विवरण	अवधि (पूर्ण दिवस)	प्रशिक्षण संस्था	प्रमाण–पत्र संख्या / दिनांक
1	अनिवार्य प्रशिक्षण (05 पाँच दिवसीय)			
2	प्रशिक्षण (05 पाँच दिवसीय से अधिक अवधि)			
3	अन्य प्रशिक्षण यदि कोई हो			

16. अन्य आवश्यक जानकारी :–

1. क्या आप साईकिल चलाने में सक्षम है (✓ का निशान करें)– हाँ ☐ नहीं ☐
2. क्या आप पेड़ पर चढ़ने में सक्षम है (✓ का निशान करें)– हाँ ☐ नहीं ☐

17. आवेदक का आधार संख्या.....

18. आवेदक का मोबाईल संख्या.....

19. ई–मेल (यदि उपलब्ध हो).....

20. आवेदक का स्थायी पता.....

.....

.....

21. आवेदक का पत्राचार का पता.....

.....

.....

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व–अभिप्रमाणि छायाप्रति संलग्न)–

1. मैट्रिक/10वीं उर्तीण प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।
2. न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।
3. 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।
4. अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
5. अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।
6. पहचान पत्र / आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. अन्य, यदि कोई हो.....

नोटः– चरित्र / आचरण प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक नहीं है। परन्तु अंतिम चयन/ दस्तावेज सत्यापन/योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

23. घोषणा :–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन–पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र/दस्तावेज वास्तविक एवं वैद्य है। यदि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत, भ्रामक अथवा तथ्य छिपाने वाली पाई जाती है अथवा प्रस्तुत प्रमाण–पत्र फर्जी/आमान्य पाया जाता है तो मेरी अभ्यर्थिता/चयन/संविदा सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार समाप्त की जा सकती है।

मैं फसल रक्षक पद हेतु विज्ञापन में निर्धारित सभी भार्ते एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित चयन प्रकिया प्रावधानों एवं भार्तो को स्वीकार करता/करती है।

स्थान –.....

दिनांकः–.....

आवेदक का हस्ताक्षर

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड
(कृषि प्रभाग)
कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा / OFFICE
DISTRICT AGRICULTURE OFFICER, LOHARDAGA
EMAIL ID- daolohardaga@gmail.com,

1- प्रस्तावना :–

राज्य में फसल सुरक्षा एवं पौधा संरक्षण सबंधी कार्यो को स्थानीय स्तर पर प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से फसल रक्षक के पद पर मानदेय के आधार पर चयन किया जाना है।

इस विज्ञापन के माध्यम से लोहरदगा जिला के विभिन्न प्रखण्डों में स्थित पौधा संरक्षण केन्द्रो में कार्य करने हेतु कुल–05 फसल रक्षक का चयन मानदेय के आधार पर किया जाएगा। जिसका विवरणी निम्नवत् है :–

i) **पौधा संरक्षण केन्द्र, लोहरदगा (सदर)।**
ii) **पौधा संरक्षण केन्द्र, सेन्हा।**
iii) **पौधा संरक्षण केन्द्र, किस्को।**
iv) **पौधा संरक्षण केन्द्र, भंडरा।**
v) **पौधा संरक्षण केन्द्र, कुडू।**

चयन प्रक्रिया संबंधित विभागीय आदेशों, स्वीकृत पदों, जिला–स्तरीय आरक्षण तथा इस विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के आधीन सम्पन्न होगी। अभ्यर्थी इस विज्ञापन की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते है।

2- सामान्य विवरण :–

क्र0सं0	पदनाम	पद की प्रकृति	नियुक्ति अवधि	मासिक मानदेय
1	फसल रक्षक (कामदार)	मासिक मानदेय / पारिश्रमिक आधारित	चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष अथवा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक– दोनों में जो पहले हो, की अवधि तक ही कार्यरत रहेंगे।	रू0–11851 / –

यह नियुक्ति पूर्णतः मानदेय / पारिश्रमिक आधरित है एवं इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति, स्थायीकरण अथवा नियमित सरकारी कर्मचारी के समान सेवा लाभ का कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3- रिक्तियों का कोटिवार विवरण :–

क्रम0	कोटिवार रिक्ति		कुल रिक्ति
1	(अनारक्षित) UR	03 (तीन) पद	03
2	(अनुसूचित जनजाति) ST	02 (तीन) पद	02

नोटः–

1. रिक्तियों की संख्या कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आवश्यकतानुसार एवं सक्षम प्राधिकार के निर्णय के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।
2. पदों का कोटिवार विवरण लोहरदगा जिला हेतु लागू आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर है।

4- **अनिवार्य योग्यता :–**

i) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक / माध्यमिक (10th) उत्तीर्ण।

ii) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची अतंर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम एक 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त होना अनिवार्य होगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, अतंर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अंतर्गत न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को तद्नुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

iii) स्थानीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है।

iv) साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में दक्षता होना है।

v) लोहरदगा जिला का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।

5- फसल रक्षक का कार्य :– फसल सर्वेक्षक, कीटनाशकों का छिड़काव, कृषक प्रशिक्षण एवं जागरूकता के साथ कार्यालय द्वारा समय–समय पर आवंटित अन्य कार्य।

6- आयु सीमा :– (दिनांक–01.01.2026 के आधार पर)

i) मैट्रिक अंक पत्र / प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही आयु निर्धारण हेतु स्वीकार्य होगा। आयु की गणना निर्धारित तिथि के आधार पर की जाएगी।

ii) न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो विभिन्न श्रेणियों हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित हो।

7- चयन प्रकिया एवं अंक विभाजन :–

i) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर संवीक्षा की जाएगी।

ii) ऐसे आवेदन, जिनमें आवश्यक विवरण उपलबध नहीं है, आवश्यक प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है, अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं होती है, अथवा जिनमें गलत/भ्रामक जानकारी दी गई है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। केवल वैद्य एवं पात्र आवेदन वाले अभ्यर्थियों का चयन हेतु अग्रेतर मूल्यांकन किया जाएगा, जो कुल 100 अंको के आधार पर किया जाएगा।

iii) अंको का विवरण निम्नवत: है:–

क्र0सं0	चयन घटक	मेधा सूची हेतु योग्यता विवरण	अधिकतम अंक
1	शैक्षणिक योग्यता	मैट्रिक अंक पत्र मे दर्ज प्रतिशत	10th का % x 0.6 = अधिकतम 60 अंक
2	प्रशिक्षण	न्यूनतम एक 05 दिवसीय प्रशिक्षण	(पाँच दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र हेतु = 08 अंक) (पाँच दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र हेतु = 12 अंक) (केवल एक ही प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होगा)
3		(साईकिल चलाना एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम होना चाहिए)	Qualifying होगा
4		साक्षात्कार (सामान्य हिन्दी/ सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा संबंधी ज्ञान)	20 अंक
		कुल अंक	100 (एक सौ) अंक

नोट:– मेधा सूची निर्धारण में पाँच दिवसीय से कम के प्रशिक्षण की गणना नहीं की जायेगी।

7. चयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु :–

i) CGPA/ ग्रेड होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित CONVERSION FORMULA के अनुसार प्रतिशत का निर्धारित किया जाएगा।

ii) एक ही स्तर की एक से अधिक डिग्री/ योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेगें।

iii) प्रशिक्षण अवधि की गणना प्रमाण–पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित पूर्ण प्रशिक्षण दिवस के अधार पर की जायेगी।

iv) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत कृषि एवं उद्यान निदेशालय अतंर्गत संचालित कार्यालय द्वारा निर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

v) साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने की क्षमता/दक्षता :– फसल रक्षक के कार्य की प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थी का साईकिल चलाने एवं पेड़ पर चढ़ने में सक्षम / दक्ष होना आवश्यक होगा।

vi) अंतिम चयन से पूर्व चयनित/औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।

vii) चरित्र प्रमाण–पत्र अंतिम रूप से चयनित / औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

viii) अभ्यर्थी को आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित (Self Attested copy) छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

1. मैट्रिक / 10 वीं उर्तीण का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र।
2. न्यूनतम 05 (पाँच) दिवसीय प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र।
3. 05 (पाँच) दिवसीय से अधिक अवधि के प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
4. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैद्य स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।
5. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैद्य जाति प्रमाण–पत्र, जहाँ लागू हो।
6. जन्म तिथि के प्रमाण हेतु मैट्रिक/10 वीं उर्तीण का प्रमाण–पत्र आवश्यक है।
7. आधार कार्ड की छायाप्रति।

नोटः– आवेदन–पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जायेगा। मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन बाद में निर्धारित तिथि पर किया जाएगा।

8. मेधा सूची एवं समान अंक होने पर प्राथमिकता निर्धारण (Tie-Breaking) :-

i) मैट्रिक में अधिक अंक/ प्रतिशत।

ii) अधिक आयु/उम्र।

iii) **Alphabetical** नाम के आधार पर प्राथमिकता।

9. चयन एवं योगदान :–

कोटिवार मेधा सूची लागू आरक्षण नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी एवं अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित स्थल पर प्रकाशित की जायेगी। योगदान केवल सक्षम प्राधिकार (जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा) द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन ही स्वीकार किया जाएगा तथा निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर चयन/ अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त हो जायेगी एवं रिक्ति को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

10. स्थानीय निवासी एवं आरक्षण :–

सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैद्य स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित जाति/ कोटि का सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत वैद्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. सामान्य शर्ते एवं महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. "आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा अंतिम चयन से पूर्व मूल प्रमाण–पत्रों का सत्यापन किया जाएगा।"
2. चयन प्रक्रिया सक्षम प्राधिकार (जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा) द्वारा गठित चयन समिति की देख–रेख में सम्पन्न होगी।
3. किसी भी चरण पर अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रमाण–पत्रों की पुनः जाँच की जा सकती है।
4. गलत सूचना, तथ्य छिपाने अथवा फर्जी प्रमाण–पत्र पाए जाने पर चयन के बाद भी संविदा समाप्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
5. चयन सूची में नाम आ जाना नियुक्ति का स्वतः एवं अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं देगा।
6. नियमित नियुक्ति होने, स्वीकृत पद समाप्त होने अथवा प्रशासनिक आवश्यकता होने पर संविदा समाप्त की जा सकती है।
7. सक्षम प्राधिकार (जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा) को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या, कार्यस्थल (पौधा संरक्षण केन्द्र/उपकेन्द्र) आवंटन अथवा चयन प्रक्रिया के किसी चरण में आवश्यक परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. सक्षम प्राधिकार को अपरिहार्य / प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. ऐसे परिवर्तन अथवा रद्दिकरण के आधार पर किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति अथवा क्षतिपूर्ति का दावा नहीं होगा।
10. आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
11. चयन/ परीक्षा/ परिणाम/ दस्तावेज सत्यापन संबंधी सूचना अधिकारिक वेबसाइट www.lohardaga.nic.in, www.atmalohardaga.co.in में प्रकाशित की जाएगी।
12. अभ्यर्थी निर्धारित समय पर प्रकाशित सूचनाओं का आवलोकन करते रहेंगे।
13. फसल रक्षक को विभाग / सक्षम प्राधिकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्यो का पालन करना होगा।
14. विहित आवेदन प्रपत्र दिनांक– 28.11.2026 को अपराहन – 05.00 बजे तक (निबंधित / स्पीड पोस्ट द्वारा) कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है। उक्त तिथि के पश्चात आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जायेगें।

12. आवेदन जमा करने का पता :–

1. आवेदक पूर्ण रूप से भरा आवेदन–पत्र हाथो–हाथ कार्यालय अवधि पूर्वाह्न–10.00 से संध्या–05.00 बजे तक जिला कृषि कार्यालय, सदर प्रखण्ड, लोहरदगा में जमा कर सकते है।

(निबंधित/स्पीड पोस्ट द्वारा)

पता–: कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, लोहरदगा
सदर प्रखण्ड, लोहरदगा।
पोस्ट– लोहरदगा, जिला–लोहरदगा, झारखण्ड–835302

6/11/26

जिला कृषि पदाधिकारी,
लोहरदगा।